न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 28/2019

1 रामोतार पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट निवासी कुलोठ कलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 उम्मेद पुत्र चुन्नीलाल
2 अतर सिंह पुत्र श्री चुन्नीलाल
3 दलीप पुत्र रिछपाल सिह
4 दानीराम पुत्र रिछपाल सिंह
5 सुभाष पुत्र रिछपाल सिंह
6 भालाराम पुत्र बुद्धराम
7 सहीराम पुत्र बुद्धराम
8 वेदकोर पत्नी स्व. रामनारायण
9 जगवीर पुत्र स्व. रामनारायण
10 संदीप पुत्र स्व. रामनारायण
11 सुरजभान पुत्र बारीराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कुलोठ कलां, तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

12 लालचन्द पुत्र नानड़राम जाति जाट निवासी ग्राम कुलोठ कलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। (दावा दायरी से पूर्व मृत्यू)
12/1 फुलबाई पत्नी लालचन्द
12/2 मानसिंह पुत्र लालचन्द
12/3 बलबीर पुत्र लालचन्द
12/4 रोहताश पुत्र लालचन्द

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

12/5 सुमित्रा पुत्री लालचन्द
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कुलोठ कलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
12/6 राजकुमारी पत्नी बलवान पुत्र लालचन्द
12/7 सुमन पुत्री बलवान पुत्र लालचन्द
12/8 मनीषा पुत्री बलवान पुत्र लालचन्द
12/9 सोनू पुत्री बलवान पुत्र लालचन्द
12/10 विनोद पुत्री बलवान पुत्र लालचन्द
12/11 सुशीला पुत्री बलवान पुत्र लालचन्द
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कुलोठ कलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
12/12 दीपिका पुत्री बलवान
12/13 ज्योति पुत्री बलवान
12/14 मोहित पुत्र बलवान
समस्त नाबालिगान जरिये वली कुदरती माता राजकुमारी पत्नी बलवान जाति जाट निवासी ग्राम कुलोठ कलां, तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
13 दुलीचन्द पुत्र सन्तलाल जाति जाट निवासी ग्राम कुलोठ कलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
14 भेरू पुत्र नानड़राम जाति जाट निवासी ग्राम कुलोठ कलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। मृतक
14/1 सितोवा देवी पत्नी स्व. भैरू
14/2 सत्यवीर पुत्र भैरू
14/3 रघुवीर पुत्र भैरू
14/4 सुरेश पुत्र भैरू
14/5 रतनी देवी पुत्री स्व. भैरू
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कुलोठ कलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
15 ओमकोर पत्नी स्व. सागर

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनू)

16 राजेश पुत्र स्व. सागर

17 नरेश कुमार पुत्र स्व. सागर

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कुलोठ कलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

18 श्रीपाल पुत्र कृष्ण, जाति अहीर निवासी झझरोला खेड़ा, फारूक नगर हरियाणा।

19 रविन्द्र पुत्र कृष्ण जाति अहीर निवासी झझरोला खेड़ा, फारूक नगर हरियाणा।

20 सुनिल कुमार पुत्र रोहिताश जाति अहीर निवासी झझरोला खेड़ा फारूक नगर हरियाणा।

21 रमेश कुमार पुत्र श्यामसुन्दर जाति निवासी ग्राम खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

22 नरेश कुमार पुत्र श्यामसुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

23 कर्मपाल पुत्र प्रहलाद सिंह जाति जाट निवासी बादली तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा।

24 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट. 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज. दावा
उनवानी रामोतार बनाम उम्मेद वगै., दावा बाबत घोषणा
व दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 204/2015
निर्णय व डिक्री दिनांक 01.12.2019

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महिपाल कपुरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ★ सीकर ★

—निर्णय—

दिनांकः— 6.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 204/2015 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर हाल 281 वाके ग्राम कुलोठ कलां का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद अबैटमेंट के आधार पर खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है और कानून का जानकार नहीं है। इस कारण दावा के प्रतिवादी नम्बर 14 भैरू की मृत्यु की जानकारी अपने वकील को नही दे सकता और कानून की जानकारी के अभाव में कायम मुकाम प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को अपीलान्ट ने स्पष्ट किया है इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के दावा को अबेट करने में कानूनी गलती की है। आदेश 22 एक प्रकियात्मक प्रावधान है और दण्डात्मक प्रावधान नहीं है। विचारण न्यायालय के यहां प्रकरण तलबी में लम्बित था। विधि की तकनिकी के आधार पर न्याय प्राप्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अत्यधिक तकनिकी दृष्टिकोण अपनाकर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र कायम मुकाम को खारिज कर विधि की भूल की है। विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस में प्रतिवादी नम्बर 12 लालचन्द के बाबत जो तथ्य दर्ज किये है वे गलत है। प्रतिवादी नम्बर 12 लालचन्द की मृत्यु दावा दायरी से पहले हो चुकी थी तथा उसके वारिसान को पक्षकार बनाने के लिये अपीलान्ट ने आदेश 01 नियम 10 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था। प्रतिवादी नम्बर 12 के लिये आदेश 22 नियम 4 व 9 जा.दी. के प्रावधान लागू नहीं होते। विचारण न्यायालय ने मनमर्जी से अपीलान्ट को नुकसान पहुचाने के उद्देश्य से निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय को अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अ. आदेश 22 जा.दी. को स्वीकार करना चाहिये था और दावा के प्रतिवादी नम्बर 14 के वारिसान को रिकार्ड पर लेना चाहिये था। अपीलान्ट के दावा को अबैट कर विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2017 (2) पेज 1463, आरबीजे 2005 एससी पेज 235, डीएनजे 2018(2) राज पेज 411, एआईआर 2015 एससी पेज 3573, एआईआर 1983 एससी पेज 355, एआईआर 1985 एससी पेज 1, एआईआर 1965 एससी पेज 606 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में मृत पक्षकारों के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने के लिए वादी द्वारा विधि द्वारा निर्धारित समय सीमा में कायम मुकाम आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है अपितु चार–पांच साल के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी अबैट करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है और कानून का जानकार नहीं है। इस कारण दावा के प्रतिवादी नम्बर 14 भैरू की मृत्यु की जानकारी अपने वकील को नही दे सका और कानून की जानकारी के अभाव में कायम मुकाम प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को अपीलान्ट ने स्पष्ट किया है इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के दावा को अबेट करने में विधिक त्रुटि की है। आदेश 22 एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है और दण्डात्मक प्रावधान नहीं है। विचारण न्यायालय के यहां प्रकरण तलबी में लम्बित था। तकनिकी आधार पर न्याय प्राप्ति से अपीलांट को वंचित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने अत्यधिक तकनिकी दृष्टिकोण अपनाकर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र कायम मुकाम को खारिज कर विधि की भूल की है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में प्रतिवादी नम्बर 12 लालचन्द के बाबत जो तथ्य दर्ज किये है वे विधि सम्मत नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 12 लालचन्द की मृत्यु दावा दायरी से पहले हो चुकी थी तथा उसके वारिसान को पक्षकार बनाने के लिये अपीलान्ट ने आदेश 01 नियम 10 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था। प्रतिवादी नम्बर 12 के लिये आदेश 22 नियम 4 व 9 जा.दी. के प्रावधान लागू नहीं होते। विचारण न्यायालय को अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अ. आदेश 22 जा.दी. को स्वीकार करना चाहिये था और दावा के प्रतिवादी नम्बर 14 के वारिसान को रिकार्ड पर लेना चाहिये था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन कायम मुकाम एवं प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 स्वीकार किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर